म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक /बोर्ड/ निर्माण/2023-24/ 292 भोपाल, दिनांक 12/07/2023

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय/तकनीकी संभाग...............(समस्त) ।

विषय:- वृक्षारोपण कार्य के संबंध में ।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/बोर्ड/नि./19-20/745-46 दिनांक 30.04.2019 ।

उल्लेखित विषयांतर्गत संदर्भित निर्देश के तहत वृक्षारोपण का कार्य प्रतिवर्ष कराया जाता है, जिस हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

(1) मंडी/उपमंडी के ले-आउट प्लान में वृक्षारोपण हेतु स्थान निर्धारित किये जायें, जिसमें भविष्य के मंडी के विकास कार्यों का भी ध्यान रखा जावें। वृक्षारोपण का कार्य कराते समय यह ध्यान रखा जावें कि भविष्य में इसके कारण किसी प्रकार का असुविधा तो नहीं होगी।

(2) मई के माह में वृक्षारोपण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खुदवा लिये जाये ।

(3) गड्डों में आवश्यकतानुसार गोबर की खाद डाली जाये एवं वर्षाकाल प्रारम्भ होने तक गड्डे खुले रखे जाये।

(4) वर्षाकाल प्रारंभ होने के 10-15 दिन के उपरांत वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ कराया जावे।

(5) वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की सुरक्षा के लिये ट्री गार्ड लगाये जावें।

(6) वृक्ष लगाने के उपरांत एक अस्थाई माली/श्रमिक उद्यानिकी विभाग के माध्यम से वृक्षों की देख-रेख हेतु रखा जावें।

(7) मंडी/ उपमंडी प्रांगणों में फलदार वृक्ष न लगायें जावें।

(8) वृक्षों का चयन ऐसा किया जाये, जिनसे गर्मी में भी हरियाली रहे जैसे नीम, शीशम, करंज एव सप्तपर्णी आदि ।

(9) वृक्षारोपण कार्य हेतु क्रमशः 50 एवं 100 वृक्षों के लिए अनुमानक तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

(10) मंडी समिति बजट प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण का कार्य कराएं ।

(11) वृक्षारोपण हेतु वृक्ष शासकीय पौध शालाओं से (वन विभाग- हार्टीकल्चर) क्रय किये जावें।

(12) प्रांगण में किये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु लगाये गये ट्री गार्डो पर वर्तमान में मंडी के सेवा निवृत्त हो रहे अधिकारियों /कर्मचारियों के नाम की प्लेट लगाई जावें।

इसी प्रकार से ही मंडी बोर्ड तथा मंडी बोर्ड के अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों/ तकनीकी संभाग कार्यालयों एवं अधिपत्य वाले आवासीय परिसरों में भी वृक्षारोपण कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।

संलग्नः- अनुमानक ।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक /बोर्ड/ निर्माण/2023-24/ 798 भोपाल, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) अपर संचालक / संयुक्त संचालक /उपसंचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।

(2) अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।

(3) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति............................(समस्त) ।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Detailed measurment of plantation work in mandi

Sl. No.	Particulers of item	Nos.	Length	Width	Hight	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Digging holes in ordinary soil and refilling the same with the excavated earth mixed with manure or sludge in the ratio of 2:1 by volume (2 parts of stacked volume of earth after reduction by 20% : 1 part of stacked volume of manure after reduction by 8%) flooding with water, dressing including removal of rubbish and surplus earth, if any with all leads and lifts (cost of manure, sludge or extra good earth if needed to be paid for separately) : 28.14								
	28.14.2 60 cm dia Holes 60 cm dia and 60 cm deep.	50				50.00			
		Total Quantity				**50.00**	**Each**	61	3050
2	Supplying and stacking at site dump manure from approved source, including carriage (manure measured in stacks will be reduced by 8% for payment) :								
	28.4 total volume of digging	50	3.14	0.60	0.60	8.48			
	20 % of total digged soil					1.70			
	Volume of cow dung to be paid					1.56			
		Total Quantity				**1.56**	**Cum**	734	1145
3	Providing and fixing M. S. tree guard 45 cm square in plan, height 1.20 metre above ground level and 0.40 metre below ground level. The vertical members shall consist of four nos. angle iron of size 25x25x3 mm, 1.8 m long,one at Each corner and 8 nos. flat iron of size 25x3 mm, 1.2 m long. The vertical mambers shall be welded to 4 nos. 25x6 mm M. S. flats placed horizontally around the vertical member of the cage. One name plate of 1 mm thick M.S. sheet of size 250x100 mm shall be welded to the tree guard near the middle height and lettered PWD/ any other approved name. The tree guard shall be fixed to the ground by makingsuitable holes and by embedding four corners leg in the ground, including refillingthe earth, compaction etc. complete. The tree guard shall be painted with two or more coatsof synthetic enamel paint of approved brand and manufacture over a coat of primer, complete in all respect.								
	28.21	50				50.00			
		Total Quantity				**50.00**	**Cum**	1426	71300
	TOTAL AMOUNT ON SOR							**75495**	
	add 18% GST							**13589**	
	add 2% contigencies							**1510**	
	GROSS AMOUNT							**89084**	
	GRAND TOTAL							**89084**	
	Cost per plant							**1782**	